①

(प्रतिलिपि)

नकल खतौनी ग्राम ताल जहदा तप्पा ~~[illegible]~~ [illegible]

परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर

फसली बावत ~~14~~ 13-94 फसली से ~~14~~ 13-90 फसली तक

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम तथा निवास स्थान	भौमिक अधिकरण वर्ष	गाटा सं0	क्षेत्रफल	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश यदि कोई हो	विवरण
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10 11 12	13
२६९-	धनपत व नर्मदा पुत्रगण [illegible] व श्रीमती [illegible] बेवा- रामअचल व रामसूरत पुत्र [illegible] व व सन्तकुमार पाण्डेय व श्याम कुमार पाण्डेय व विष्णु कुमार पाण्डेय व [illegible] कुमार पाण्डेय पुत्रगण राम सूरत पाण्डेय मु० [illegible]	श्रेणी क - भूमि जो सङ्क्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो 13-94 [illegible] सिक्टौर.	280 286 294क 295 296 297 310क 311क 312 [illegible]	0.33 1.09 0.30 0.04 0.13 0.10 0.22 0.38 0.68 3.23	82.00	① आदेश अनुसार श्रीमान [illegible] महोदय मु० नं० [illegible] धारा [illegible] (?) को आदेश मुताबिक [illegible] के आधार पर खाता नं० 269 का विभाजन सन्तकुमार, श्याम कुमार, विजय कुमार, [illegible] कुमार और [illegible] और [illegible] का [illegible] दर्ज हो। गाटा नं० 286/1 [illegible] 310 [illegible] 311 0.38 के [illegible] 312 0.60 [illegible]	[illegible]

② आदेश अनुसार श्रीमान [illegible] महोदय मु० नं० 4364 धारा [illegible] (?) की आदेश मुताबिक खाता नं० 269 [illegible] [illegible] धनपत [illegible] दि० 29-11-90 [illegible]

③ आदेश अनुसार श्रीमान [illegible] कलेक्टर गोरखपुर पत्रांक 604 15-1-94 आदेश मुताबिक [illegible] गाटा नं० 286 0.24, 310 0.68, 311 [illegible] [illegible] के [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] [illegible] दर्ज किया जाय [illegible] 30-1-94 [illegible]

P.T.O.

(२)

अनुसार आदेश श्रीमान स० चं० अ० महोदय के मु०नं० 492/1.6.94 धारा 12 आदेश हुआ कि ग्राम तालजहदा के गाटा सं० 296 से [illegible] वारिसान रतन [illegible] पुत्र [illegible] का नाम खारिज होकर [illegible] कुमार, श्याम कुमार, विष्णु कुमार व [illegible] कुमार पुत्रगण [illegible] का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। दस्त० 6.6.94

(४) अनुसार आदेश श्रीमान स० चं० अ० महोदय के मु०नं० 226/12.10.010 धारा 12 के आदेश हुआ कि ग्राम तालजहदा के [illegible] गाटा सं० 294/0300 के [illegible] 295/0050 [illegible] 296/0430 [illegible] 310/0220 व 311/0380 व 312/0690 [illegible] 10.10 [illegible] 4.39 [illegible] कुमार, श्याम कुमार व विष्णु कुमार व [illegible] कुमार पुत्रगण [illegible] व राजीव कुमार व [illegible] कुमार पुत्रगण [illegible] 23.6.010 [illegible] गोरखपुर [illegible] का नाम बतौर [illegible] दर्ज हो। दस्त० 2.11.010

(६) अनुसार आदेश श्रीमान चं० अ० मुजीब अहमद धारा 9A(2) मु०नं० 460/11.11.010 के आदेश हुआ कि ग्राम तालजहदा के गाटा सं० 294/0300, 295/0050, 296/0430, 296/0466 व 310/0542 व 311/0332, 312/0690 के [illegible] प्रयोजन हेतु उपयुक्त होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जाता है। दस्त० 2.12.2010

नकल करने [illegible]
सहायक
चकबन्दी

सत्य प्रतिलिपि
2.12.10
पेशकार, ब० अ० चकबन्दी

1-प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम श्रीगोपाल
2-प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक 1.12.10
3-टिकट का मूल्य रु० 3/6.00
4-नकल तैयार करने का दि० 2.12.10
5-नकल रीड पर चस्पा करने का दि० 2.12.10
6-जारी करने का दि० 2.12.10
7-नकल जारी करने वाले कर्मचारी का ह०

3/6.00

2 Rs COURT FEE २ रु भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY
2 COURT FEE २
2 Rs COURT FEE २ रु भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES